

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2451/12, 2452/12, 2453/12, 2454/12.....जिला.....जयपुर.....

उनवान— मैसर्स लाम्बा एप्लाईसेंज जयपुर, बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन जोन 3 जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	----------------------------------	--

एकलपीठ
श्री मदनलाल – सदस्य

25.03.2015

अपीलार्थी अभिभाषक अनुपस्थित, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से
श्री डी.पी.ओझा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।

अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना—पत्र पत्रावली पर
उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में
राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/
2009—188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण
वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।

इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को
विद्वा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।

फलस्वरूप अपीलार्थी के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना
पत्र के आधार पर हस्तगत अपील संख्या 2451/12, 2452/12,
2453/12 एवं 2454/12 विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। अतः
प्रस्तुत अपील जरिये विद्वा खारीज की जाती है।

आदेश सुनाया गया।

25.3.2015
(मदन लाल)
सदस्य